9/1/19 पत्रावली पेश हुइ
अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी/उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
अधिवक्ता/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप.
अनुपस्थित
पत्रावली वास्ते........बहस.........
आगामी पेशी दिनांक........13.3.19
को पेश हो ।

13/3/19 पत्रावली पेश हुइ
अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी/उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
अधिवक्ता/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
पत्रावली वास्ते बहस
आगामी पेशी दिनांक
को पेश हो

22/3/19 अभिभाषकगण उपस्थित । पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य/चुनाव कार्य में व्यस्त है । पत्रावली दिनांक....15.7.19.....को पेश हो ।

15/7/19 अभिभाषकगण उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है।/अन्य कार्य/चुनाव कार्य मे व्यस्त है पत्रावली दिनांक...4.10.19.....
को वास्ते.......बहस.........पेश हो।

4-10-19 वकील प्रार्थी उपस्थित बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया/ पत्रावली नतीजा से कायम की जाकर बाद तकमील शामिल दफ्तर हो

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 108/2012

1. चरणसिंह पुत्र भागसिंह जाति बाजीगर निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
– – प्रार्थी

– :: बनाम ::–

1. नन्दराम पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़ ।
– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8 (2) कोलोनाईजेशन (जनरल कोलोनी) शर्त 1955

उपस्थित अभिभाषगण

1. श्री राजेश दीपराय अधिवक्ता प्रार्थी

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 04.10.2019

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8 (2) कोलोनाईजेशन (जनरल कोलोनी) शर्त 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की चक 5 एस.एस.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 29/31 पत्थर नम्बर 169/285 (51) कुल 0.506 हैक्टर मय गैर मुमकिन प्रार्थी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थी की पत्थर नम्बर 169/282 के किला नम्बर 13 में आवागमन हेतु कोई रास्ता स्वीकृत शुद्धा नहीं है। पत्थर नम्बर 169/283 के किला नम्बर 1 ता 5 में उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चित स्वीकृतशुद्धा रास्ता है पत्थर नम्बर 169/283 में आबादी है। प्रार्थी की कृषि भूमि से आबादी मात्र दो बीघा की दूरी पर है। पत्थर नम्बर 169/282 के किला नम्बर 18 व 23 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थी अपनी भूमि पत्थर नम्बर 169/282 के किला नम्बर 13 में कायत हेतु आवागमन एवम् ऊट गाड़ा ट्रेक्टर ट्राली पशु के आवागमन के लिये अप्रार्थी की कृषि भूमि किला नम्बर 18 व 23 में पूर्वी दिशा की और उत्तर से दक्षिण प्रत्येक किला में तीन गठ्ठा चौड़ा रास्ता अर्थात 25 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास प्रार्थी की भूमि के आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस कारण पत्थर नम्बर 169/282 किला नम्बर 18 व 23 में पूर्वी और तीन गठ्ठा चौड़ा रास्ता अर्थात 25 फुट चौड़ा रास्ता उत्तर से दक्षिण स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख में अंकन किये जानें के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी नें गत सप्ताह अप्रार्थी से प्रश्नगत रास्ता को स्वीकृत करवानें एवम् राजस्व अभिलेख में अंकन करवानें हेतु निवेदन किया तो वह इन्कार हो गया यही वाद कारण है। अप्रार्थी संख्या 2 भू. धारक है इसलिये अप्रार्थी संख्या 2 को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है, जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद है।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

लगातार 2

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर चक 5 एस.एस.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 29/31 पत्थर नम्बर 169/282 (24) किला नम्बर 169/282 (24) किला नम्बर 18 व 23 में पूर्वी दिशा की और उत्तर से दक्षिण प्रत्येक किला मे तीन गठ्ठा चौड़ा अर्थात 25 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख मे अंकन करनें के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 बाद तलबी उपस्थित नही आनें पर दिनांक 02.02.2015 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में अप्रार्थी संख्या 2 तहीलदार हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के प्रार्थी को रास्ते की आवश्यक्ता है, क्योकि प्रार्थी को अपनी भूमि में जानें हेतु अन्य रास्ता नहीं है।, रास्ते का अन्य कोई विकल्प नहीं है।

प्रार्थी का पत्थर नम्बर 169/282 (24) में मात्र एक ही किला नम्बर 13/.253 हैक्टर भूमि है। जो कि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन आवासीय दर्ज है। पत्थर नम्बर 169/285 (51) किला नम्बर 25 की भूमि से काफी दुरी है।

प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होनें से प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई दौरानें बहस प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी को अपनी भूमि मे आवगमन हेतु रास्ते की आवश्यक्ता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर किला नम्बर 18 व 23 में पूर्वी दिशा की और उत्तर से दक्षिण प्रत्येक किला में तीन गठ्ठा चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जावे।

– :: आदेश ::–

बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि में आवागन हेतु चाहे गये रास्ते की चोड़ाई 25 फुट है, जो अत्यधिक होनें से 25 चौडा रास्ता स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है। परन्तु तहसीलदार हनुमानगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को अपनी भूमि में जानें हेतु रास्ता नहीं होने से प्रार्थी को अपनी भूमि में जानें हेतु रास्ता की आवश्यक्ता है इस कारण धारा 8 (2) कोलोनाईजेशन (जनरल कोलोनी) शर्त 1955 के अन्तर्गत चक 5 एस.एस.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ पत्थर नम्बर 169/282 किला नम्बर 18 व 23 में पूर्वी और उत्तर से दक्षिण एक गठ्ठा चौड़ा अर्थात $8\frac{1}{4}$ फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रास्ता सार्वजनिक उपयोग हेतु रहेगा। रास्ते की भूमि के बदले प्रार्थी अप्रार्थी मुआवजे के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाये जानें के उपरान्त राजस्व अभिलेख में रास्ता का अंकन किया जाकर सम्बंधित काश्तकार को तहसीलदार अपनें स्तर पर राशि का वितरण करना सुनिश्चित करेगें।

तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुआवजा राशी जमा होनें पर राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 04.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner